

सेवामें
 प्रमुख
 सुबोधकें-या

23/05/18

पञ्जावली ग्राम न्याय मापडेडार कमिशन
 2018 डेन्च कोर्ट ग्राम पेचायत वाटाडू में रखी
 गई, प्राथी करील उपलब्धत / विप्राथीगण वाकजुड
 लगिल अनुउपलब्धत / प्राथी के अधिवक्ता की एडु-
 पक्षीय वादस खुनी गई प्राथी के अधिवक्ता ने
 बलाया की प्राथी को अपने प्यातेडारी प्येले के
 चारो फोर पत्रके नेषम स्थापित उवासा प्राव-
 रप्रक है। इसलिय प्राथी का नेषमवन्नी प्रावेडन
 स्वीकार किया जाउर नेषमवन्नी प्रावेडन
 किया जावे।

फलतः प्राथी का नेषमवन्नी प्रावेडन
 स्वीकार किया जाउर लक्ष्मीबहादुर वाकजुड को कमिशनर
 नियुक्त किया जाला है व प्रावेडन दिया जाला है
 कि प्राय स्वमं या अपने अधिनस्थ किली भी
 मू. कमिषेच्य निरिक्षक ले प्राथी के प्यातेडारीप्येले
 की पत्रकी नेषमवन्नी मोडे पर कमिशनर लिख
 जमाउताउर डरे, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर
 शामिल पञ्जावली के पञ्जावली जेसल सुमार है
 इज नम्बर ले डम है, दाखिल इफल है।



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, बायतु

राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वार, 2018

(केम्प कोर्ट, बाटाडू)

क्रमांक / न्याय आपके द्वार / कोर्ट / 2018 / 385
प्रार्थी बनाम

दिनांक:- 23/05/2018

विप्रार्थीगण

1. श्री गोमाराम पुत्र रतनाराम,
जाति-जाट, निवासी-धतरवालों का
सरा, छीतर का पार, तहसील-बायतु,
जिला-बाडमेर

1. श्री रामाराम पुत्र खीयाराम वगैरा 10
निवासीयान-धतरवालों का सरा, छीतर का
पार, तहसील-बायतु, जिला-बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 ,111राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या :- 08/18

आदेश

मौजा धतरवालों का सरा पटवार हल्का छीतर का पार के खेत खसरा नम्बर 368/53, 369/54 रकबा क्रमशः 00.09, 293.18 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भूअनिरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी नागाणा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु

सहायक अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक / न्याय आपके द्वार / कोर्ट / 386-90
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

(हेताराम चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक:- 23/05/2018

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, छीतर का पार को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री गोमाराम पुत्र रतनाराम।
4. विप्रार्थी श्री रामाराम पुत्र खीयाराम वगैरा 10।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु